

संख्या- 4184/1-11-2007

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, बॉदा,
चित्रकूट, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग -11

लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2007

विषय :- सूखे से प्रभावित जनपदों में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को सामुदायिक रसोई की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3049/1-11-2007-84/2006, दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 द्वारा जनपद ललितपुर तथा शासनादेश संख्या-2940/1-11-2007-84/2006 दिनांक 12 सितम्बर, 2007 द्वारा जनपद सोनभद्र, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, बॉदा, हमीरपुर, झाँसी एवं जालौन को सूखाग्रस्त जनपद घोषित किया गया है, सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ऐसे जनपदों में ग्रामों में कतिपय ऐसे निराश्रित व असहाय व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें तात्कालिक रूप से खाद्यान्न की आवश्यकता हो। ऐसे व्यक्तियों को आपदा राहत निधि से सहायता दिये जाने की व्यवस्था है ताकि किसी व्यक्ति के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो।

2. ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक तंगी को देखते हुये राज्य आपदा राहत समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि 09 सूखाग्रस्त जनपदों में असहाय एवं निराश्रित लोगों की समस्या के निराकरण हेतु सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करके ऐसे व्यक्तियों को भोजन की सुविधा प्रदान किया जाय।

3. जिलाधिकारी तत्काल राजस्व कर्मियों के माध्यम से निराश्रितों की सूची तैयार कर भोजन हेतु आवश्यक धनराशि का आंकलन कर आपदा राहत निधि से योजना का संचालन कराये।

4. उक्त योजना की स्वीकृति आपदा राहत निधि की नियमावली के मद सं0 -1 (द) "वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता - रु0 20/- प्रति वयस्क और रु0 15/- प्रति अवयस्क" तथा मद सं0 -2 "अतिरिक्त पुष्टाहार - रु0 2/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति" के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय -03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6. इस मद में व्यय धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश सं० 1693/1-11-2005-रा०-11 दिनांक 20 जून, 2007 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक शासन को अवश्यमेव उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

7. कृपया व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक तीन माह में महालेखाकार कार्यालय से ऑकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)

सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या - 41840/1-11-2007 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा० राजस्व मंत्री के निजी सचिव।
2. स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
4. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. मण्डलायुक्त झॉंसी व चित्रकूटधाम मण्डल।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
8. कोषाधिकारी चित्रकूट, बॉदा, महोबा, झॉंसी, ललितपुर, जालौन एवं हमीरपुर।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5।
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग -6/11।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)

उप सचिव